बिहार सरकार

समाहरणालय, नवादा

नवादा–805110 दूरभाष 06324–210296 (कार्या0)

(कल्याण)

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, बुधौल, नवादा।

(नामांकन हेतु सूचना)

पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा संचालित नवादा जिला अन्तर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, नवादा में रिक्ति के विरूद्ध प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु नामांकन किया जाना है। जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क आवासन के साथ मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रों को प्रति माह–2000/– (दो हजार) रू0 एवं मुख्यमंत्री छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत छात्रों को प्रति माह–15 कि0ग्रा0 (09 कि0ग्रा0 चावल/06 कि0ग्रा0 गेहूँ) खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। छात्रावासों में छात्रों के बेहतर शिक्षा हेतु मुफ्त वाई–फाई के साथ डिजिटल लाईब्रेरी, ऑनलाईन क्लासेस एवं खेल–कूद की सुविधा प्रदान की जाती है। इच्छुक छात्र विभागीय पोर्टल (https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/BCEBC_MH_App/Registration.aspx) पर दिनांक 25.06.2026 से 24.07.2026 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये छात्र/अभिभावक प्रत्येक कार्यदिवस को जिला कल्याण कार्यालय, नवादा में संर्पक कर सकते हैं। छात्रावास में रिक्ति निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	छात्रावास का नाम	रिक्ति
1	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, बुधौल, नवादा।	40

नामांकन की शर्ते :–

1. आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के छात्र हों।
2. बिहार राज्य के निवासी हों।
3. नवादा जिला स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकित हों।
4. छात्र का चयन छात्र के गत परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जायेगा।
5. 04 सीट दिव्यांग कोटि के लिए आरक्षित रहेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :–

1. आवेदन ऑनलाईन स्वीकार किए जायेगे।
2. आवेदन के साथ सभी वांछित प्रमाण–पत्रादि (यथा– जाति प्रमाण पत्र, अभिवावक का आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, गत परीक्षा का अंक पत्र, संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र, नामांकन रसीद आदि) संलग्न किया जाना आवश्यक है।

आवेदन का सभी कॉलम सही–सही भरा हुआ होना चाहिए, अपूर्ण भरे हुए आवेदन एवं वांछित अनुलग्नक नहीं संलग्न किये गये आवेदन–पत्र रद्द कर दिये जायेगें। निर्धारित समय–सीमा के बाद आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन–पत्र में दी गई सूचना गलत पाये जाने पर, गलत सूचना अंकित करने वाले छात्रों का नामांकन रद्द करने का अधिकार छात्रावास चयन समिति को होगा।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, नवादा

PR. No. 006068 (Welfare) 2026-27

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

रक्त की आवश्यकता पड़ने पर लाईसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों से ही रक्त प्राप्त करें।